राजस्थान राज्य सूचना आयोग

झालाना लिंक रोड, ओ.टी.एस. चौराहा ,जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर

अपील संख्या: - 4106/2018

अपीलार्थी	**बनाम**	**प्रत्यर्थी**
बजरंग लाल शर्मा ग्राम बढारणा तहसील आमेर जिला जयपुर जयपुर , राजस्थान		राज्य लोक सूचना अधिकारी एवं राजस्व आसूचना अधिकारी राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय, भू- तल, डी-ब्लाक, वित्त भवन, जनपथ, जयपुर महानगर जयपुर

द्वितीय अपील अन्तर्गत धारा 19(3) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005

निर्णय

दिनांक : 11-06-2018

1. अपीलार्थी अनुपस्थित।
2. प्रत्यर्थी पक्ष से श्री रामगोपाल गुप्ता, सहायक लोक सूचना अधिकारी, उपस्थित।
3. मैंने प्रत्यर्थी पक्ष को सुना एवं पत्रावली का विशद परिशीलन किया।
4. अपीलार्थी ने आवेदन दिनांक 22-3-17 राज्य राजस्व आसूचना निदेशालय राजस्थान को प्रेषित कर, ग्राम बढारणा, तहसील आमेर जिला जयपुर के विक्रय पत्र पंजीकृत दिनांक 22-3-09 के पक्षकार द्वारा स्टाम्प ड्यूटी के चोरी किए जाने, आदि के सम्बन्ध में की गई शिकायत पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में सूचना चाही थी। सूचना नहीं मिलने एवं प्रथम अपीलीय निर्णय दिनांक 4-7-17 से असंतुष्ट रहने के आक्षेप पर हस्तगत अपील प्रस्तुत की गई है।
5. सुनवाई के दौरान प्रत्यर्थी ने निवेदन किया कि अपीलार्थी को पत्र दिनांक 28-3-17 से संसूचित कर दिया गया था कि प्रत्यर्थी कार्यालय को सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के तहत सूचना देने के सम्बन्ध में आसूचना और सुरक्षा संगठन के रुप में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24 की उप धारा 4 के अन्तर्गत राजस्थान राजपत्र की अधिसूचना दिनांक 2-11-10 के द्वारा विनिर्दिष्ट किया गया है।
6. प्रत्यर्थी ने आयोग के नोटिस के संदर्भ में अपीलोत्तर दिनांक 31-5-18 मय संलग्नक प्रस्तुत कर प्रति अपीलार्थी को पृष्ठांकित की है से स्पष्ट है कि प्रत्यर्थी का विभाग गजट नोटिफिकेशन दिनांक 2-11-10 के द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 24(4) के तहत आसूचना और सुरक्षा संगठन के रुप में विनिर्दिष्ट किया गया है, अतः उक्त विभाग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की परिधि से बाहर है।
7. अपील में अब कोई कार्यवाही अपेक्षित नहीं होने के कारण अपील का खारिज किया जाना समीचीन है।
8. अस्तु, वर्तमान अपील खारिज की जाती है।
9. निर्णय की प्रति उभय पक्ष को प्रेषित हो।
10. निर्णय घोषित।

Recd
31
पत्रावली
9/7/18

(सुरेश चौधरी)
मुख्य सूचना आयुक्त